–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 183/2025

उनवान

1. जमना पत्नि छोटू
2. सदानंद पुत्र छोटू
3. हेमराज पुत्र छोटू जातिगण गुर्जर निवासी दिलवाडी नसीराबाद

––वादीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. प्रभू पुत्र सुखा,
2. रामगोपाल पुत्र सुखा जतिगण गुर्जर निवासी दिलवाडी,
3. अशोक कुमार पुत्र रामकिशन जाति यादव निवासी जाटिया तह. व जिला अजमेंर,
4. राजेन्द्र माली पुत्र ओम प्रकाश जाति माली निवासी बलवन्ता तह. व जिला अजमेंर,
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री आशीष अजमेरा
5 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 1.12.11.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के खाता संख्या 40/32 किता 25 रकबा 4.45, 40/32 किता 22 रकबा 3.85 व खसरा नम्बर 599 रकबा 0.06 की आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। वादीगण के पिता को बोलचाल की भाषा में छोटू पुत्र माधू उर्फ मादू कहते थे जबकि उनका सही नम छोटू पुत्र जयदेव है। वादीगण के दादा का नाम राजस्व अभिलेख में सहवन से छोऊ पुत्र जयदेव के स्थान पर छोटू पुत्र माधू उर्फ मादू अंकित हो गया है, जिस कारण विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने में परेशानी हो रहा है। प्रतिवादीगण सह. खातेदार होने के कारण प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है।अन्य कोई अनुतोष उनके विरूद्व नही चाहा गया है। अतः आराजी मूतनाजा पर वादीगण के पिता/दादा का नाम छोटू पुत्र जयदेव किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने इकबालिया जवाब पेश कर वाद के तथ्यों को स्वीकार किया। राज पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने से कतरा तनकी कायम नहीं की गयी। अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व पहचान के दस्तावेज आदि पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

––2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
सहायक
उपखण्ड कार्यालय नसीराबाद
(जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम दिलवाडी के खाता संख्या 40/32 किता 25 रकबा 4.45, 40/32 किता 22 रकबा 3.85 व खसरा नम्बर 599 रकबा 0.06 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख मे छोटू पुत्र मादू उर्फ माधू व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में भी वादीगण के पिता/दादा का नाम छोटू पुत्र मादू उर्फ माधू ही अंकित है। किन्तु तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा व जॉच रिपोर्ट अनुसार छोटू के पिता का नाम जयदेव ही अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड में भी वादीगण के पिता का नाम छोटू पुत्र जयदेव ही अंकित है। वादीगण कोटा के निवासी है। आराजी मुतनाजा नसीराबाद में स्थित है। वादीगण के दादा का नाम सहवन से माधू उर्फ मादू अंकित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वादीगण नाम दुरूस्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया हैं। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण के दादा का नाम दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होता है। वादीगण नाम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडी के खाता संख्या 40/32 किता 25 रकबा 4.45, 40/32 किता 22 रकबा 3.85 व खसरा नम्बर 599 रकबा 0.06 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर छोटू पुत्र मादूउर्फ माधू का नाम छोटू पुत्र जयदेव अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

हस्ताक्षर
मिलान कुनिन्दा

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
उपखण्ड कार्यालय नसीराबाद
(जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम दिलवाडी के खाता संख्या 40/32 किता 25 रकबा 4.45, 40/32 किता 22 रकबा 3.85 व खसरा नम्बर 599 रकबा 0.06 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख मे छोटू पुत्र मादू उर्फ माधू व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में भी वादीगण के पिता/दादा का नाम छोटू पुत्र मादू उर्फ माधू ही अंकित है। किन्तु तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा व जॉच रिपोर्ट अनुसार छोटू के ति का नाम जयदेव ही अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड में भी वादीगण के पिता का नाम छोटू पुत्र जयदेव ही अंकित है। वादीगण कोटा के निवासी है। आराजी मुतनाजा नसीराबाद में स्थित है। वादीगण के दादा का नाम सहवन से माधू उर्फ मादू अंकित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वादीगण नाम दुरूस्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया हैं। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण के दादा का नाम दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होता है। वादीगण नाम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडी के खाता संख्या 40/32 किता 25 रकबा 4.45, 40/32 किता 22 रकबा 3.85 व खसरा नम्बर 599 रकबा 0.06 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर छोटू पुत्र मादूउर्फ माधू का नाम छोटू पुत्र जयदेव अंकित करने की कार्यवाही करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

हस्ताक्षर
मिलान कुनिन्दा

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद
(जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:22 IST
Reason: SelfAttested